न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :–403/2021–22

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

जोलेन तिड़ू – विक्रेता

अगर मुण्डू – क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
23.08.23	आदेश	

आदेश

आवेदक जोलेन तिड़ू पिता स्व0 दानियल तिड़ू ग्राम–पांडू, पो0–विचना, थाना मुरहू, जिला खूँटी ने अगर मुण्डू पिता स्व0 एमानुएल मुण्डू ग्राम–सरवादा, पो0–सरवादा, थाना मुरहू, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकवा(एकड़ में)
पाण्डू	148	38	1793	0.10

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद सं0 0354290218 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, मुरहू के पत्रांक 298 दिनांक 27.05.23 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम खीस्त्रानन्द पाहन वगैरह हैं। पंजी II के अनुसार ईश्वरदत पाहन वगैरह के नाम भूमि का 40.31 एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकवा 3.28 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2022–23 तक किया गया है। भूमि का न्युनतम प्रस्तावित दर 17239.00(सत्तरह हजार दो सौ उनचालीस) रू0 हैं। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 3.18 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना मुरहू के निवासी हैं एंव एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु बिक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदवन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, मुरहू ने आवेदक क्रेता–विक्रेता को भूमि क्रय–विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, मुरहू से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण जोलेन तिड़ू पिता स्व0 दानियल तिड़ू को अमर मुण्डू पिता स्व0 एमानुएल मुण्डू के साथ ग्राम पाण्डू के खाता सं0 38 खेसरा संख्या 1793 कुल रकवा 0.10 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 17239.00(सत्तरह हजार दो सौ उनचालीस) रू0 प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, मुरहू के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

Digitally signed by ARVIND KUMAR OJHA
Date: 2024.01.05 12:32:48 +05:30
Location: 192.168.1.103

23/08/23

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

23/08/23

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।